an>

Title: Regarding implementation of Namami Gange Project.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) ः प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ""नमामि गंगे"" का शुभारम्भ हाल ही में देशभर में सैकड़ों स्थानों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित कर किया गया है। केन्द्र सरकार ने इसके लिए फिलहाल 20,000 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया है, जिसमें से अभी शुरूआती दौर में 20,000 करोड़ रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि बहुत-सी राज्य सरकारें इसमें बहुत कम रूचि ले रही है, जिससे कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं और अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) देने में बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सरकारें कुछ अपनी शर्तों पर रोड़े अटका रही हैं, जिससे अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। इसके साथ ही साथ अनेक नगर निकायों के हस्तक्षेप से भी कार्य सुचारू रूप से प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है, जिससे केन्द्र सरकार की इस विषय पर गंभीरता पर प्रश्नचिन्ह लग रहे हैं। केंद्र सरकार की उदारता के बावजूद जगह-जगह विशेषकर बिहार सरकार एवं वहां के जिला प्रशासन की उदासीनता एवं असहयोगात्मक रवैया ""नमामि गंगे"" के शुभारम्भ में स्पष्ट तौर से परिलक्षित हुआ, जिससे भविष्य में काफी कठिनाई पैदा हो सकती है।

मैं निवेदन करना चाहता हँ कि ""नमामि गंगे"" के तहत प्रथम चरण में बक्सर के सिद्धनाथ घाट, लक्ष्मीनारायण समाधि घाट, चौसाघाट आदि का प्राक्कलन तैयार कर जोड़ते हुए निर्माण कराया जाए। साथ ही बक्सर, हाजीपुर, सोनपुर, पटना, मोकामा, मुंगेर, सुलतानगंज, भागलपुर, कहलगांव, झारखंड के राजमहल और साहिबगंज आदि गंगा के किनारे विद्युत शवदाह गृह भी स्थापित किए जाएं।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ""नमामि गंगे"" परियोजना की सफलता हेतु अलग से केन्द्रीय नीति निर्धारण कर इसे चालू सत्र में ही एक नया अधिनियम बनाकर लाने का प्रयास करे, तभी समय पर कार्य अच्छी तरह सम्पन्न हो पाएगा तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्र सरकार का सपना साकार हो पाएगा।

इसके अतिरिक्त जल-विषयक सूची को राज्यों से हटाकर केन्द्रीय सूची में डालने हेतु लोक सभा की प्राक्कलन समिति एवं अन्य संबंधित समितियों के प्रतिवेदनों पर शीघ्र गंभीरता-पूर्वक चर्चा कर, उसे अमलीजामा पहनाने की आवश्यकता है। इस पर केंद्र सरकार की स्पष्ट नीति घोषित होनी चाहिए, तभी गंगा एवं अन्य नदियों की अविरलता एवं निर्मलता बरकरार रह पाएगी।

इसके अतिरिक्त जल-प्रदूषण रोक एवं प्रतिबंध अधिनियम, 1974 में आवश्यकतानुसार संशोधन करते हुए कड़ाई से राज्य सरकारों एवं अन्य स्तरों पर भी अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु कारगर कदम उठाएं जाएं।